राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 906,907,908,909,910 व 911/2013/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, जोन–II जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मै0 स्काईज,
सी–29ए, हरिमार्ग,मालवीय नगर, जयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल–सदस्य
श्री ईश्तरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से
श्री ए.के.गुप्ता,
अधिकृत अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :–17.12.2015

अपीलार्थी–राजस्व द्वारा ये छः अपीलें उपायुक्त(अपील्स)प्रथम,वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 241, 242, 243, 244, 245 व 246/आरवेट/अपील–1/11–12 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 02.01.2013 के विरूद्ध, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे **"वेट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ. 12(63)एफ.डी./टेक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 की क्रम संख्या 2 "Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, Sewerage system" के अनुसार निष्पादित किये जाने के आधार पर 1.5 प्रतिशत से विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग–द्वितीय,जयपुर(जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के समक्ष आवेदन पेश किये।कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के निष्पादित कार्य को अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की क्रम सं0 4 के अनुसार 3 प्रतिशत से विमुक्ति शुल्क की श्रेणी में मानते हुए प्रमाण पत्र संख्या 4813/01 से 06 तक, दिनांक 04.07.2011 को जारी किये गये। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्रों में संशोधन चाहने हेतु वेट अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किये। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने संशोधन आदेश दिनांक 14.11.2011 के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिये गये। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने संयुक्तादेश दिनांक 02.01.2013 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश देते हुए कि विमुक्ति शुल्क का कर निर्धारण 1.5 प्रतिशत से करे, इस प्रकार प्रकरणों को पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिये। अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्तादेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–राजस्व

लगातार.....2

द्वारा ये अपीलें पेश की गई है जिनका विवरण निम्न तालिकानुसार दर्शाया जा रहा हैं:–

अपील सं0	विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र सं.	संविदा मूल्य	कार्य का प्रकार
906/13	4813/1	46,50,000/–	Construction of Rain Water Recharging Harvesting Artificial recharge structure
907/13	4813/2	95,000/–	Rain Water Harvesting structure
908/13	4813/3	1,00,000/–	Rain Water Harvesting structure
909/13	4813/4	80,000/–	Rain Water Harvesting structure
910/13	4813/5	20,000/–	Rain Water Harvesting structure
911/13	4813/6	8,500/–	रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य

अपीलार्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि उपरोक्त सारणीनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के निष्पादित किये गये कार्य अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 अनुसार विमुक्ति शुल्क की अनुक्रमिका के आईटम नं.4 में दर्शित विमुक्ति शुल्क कर की दर 3 प्रतिशत से विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किये गये है जो विधिसम्मत है। उनका निवेदन था अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर, कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल किया जावे।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नही की हैं। प्रकरणों को प्रतिप्रेषित करने का आदेश विधिसम्मत एवं उचित था। अपने तर्क के समर्थन में अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 02.01.2013 की पालना में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधियों के प्रतिप्रेषित कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.12.2014 को किये जा चुके है। उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.12.2014 की प्रति भी बहस के दौरान पेश की गई। अतः उनका निवेदन था कि विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। कर निर्धारण अधिकारी के प्रतिप्रेषित कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.12.2014 का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी के संयुक्तादेश दिनांक 02.01.2013 के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये थे। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.12.2014 को पारित किये जा चुके हैं।

अतएवं अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 02.01.2013 की पालना में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.12.2014 पारित कर दिये जाने से अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने संबंधी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपीलें चलने योग्य नहीं रहती हैं।

लगातार.....3

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त, हनुमानगढ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग (2009) 25 टैक्स अपडेट 59** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.01.2013 के विरूद्ध यह अपीलें सारहीन(Infructous) होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत अपीलें सारहीन(Infructuous) होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

17-12-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

17.12.2015

(मदन लाल)
सदस्य